



कार्यालय नगर निगम जयपुर ग्रेटर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, जयपुर)

क्रमांक:-

एफ-5()कार्मिक/सा.प्र./ननिज/2021/ 1046

दिनांक:- 27.10.2021

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग (नियम अनुभाग) जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.6(5)एफडी(रुल्स)/2009 दिनांक 25.10.2021 की अनुपालना में राज्य कर्मचारियों जो दिनांक 31.03.2021 एवं दिनांक 01.04.2021 को निरंतर सेवा में हैं तथा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पे मैट्रिक्स एल-12 या कम अथवा ग्रेड पे 4800 या कम में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में कम से कम 06 माह की सेवा पूर्ण करता हो, को वर्ष 2020-21 में 7000/- रुपये 31 दिवस का माह मानते हुए अधिकतम 30 दिवस का तदर्थ बोनस दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

1. दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त राज्य कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का 50 प्रतिशत नकद तथा शेष 50 प्रतिशत जीपीएफ में तथा दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों का राजस्थान सरकार कर्मचारी सामान्य प्रावधानी निधि नियम 2021 के अनुसार जीपीएफ 2004 में जमा किया जावेगा।
2. निलम्बित कर्मचारी एवं परीवीक्षाधीन कर्मचारियों को बोनस देय नहीं होगा।

उक्त आदेश की अनुपालना में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बोनस दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)

आईएस

आयुक्त

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि :-

1. निजी सहायक, महापौर महो०/उपमहापौर महोदय नगर निगम ग्रेटर जयपुर
2. निजी सहायक, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
3. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त महो०, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
5. समस्त उपायुक्त जोन/मुख्यालय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
6. वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
7. सहायक लेखाधिकारी (कार्मिक), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
8. प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
9. अध्यक्ष/महामंत्री, कर्मचारी ट्रेड यूनियन, नगर निगम जयपुर
10. अध्यक्ष/महामंत्री, मोटर गैराज शाखा, नगर निगम जयपुर
11. अध्यक्ष/महामंत्री, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, नगर निगम जयपुर
12. कार्यालय अधीक्षक
13. ओसवाल डाटा, नगर निगम ग्रेटर जयपुर
14. गार्ड फाईल

आयुक्त
नगर निगम ग्रेटर जयपुर